



No:- JDA/Sr.Hort./2020-21/D-

Dated: 12-11-2020

NOTICE INVITING BID
NIB No. : Sr. Horti./2020-21/30

Name & Address of the Procuring Entity	➤ Name: Sr. Horticulturist, Jaipur Development Authority ➤ Address: Room No. NB-SF-205, IIIrd Floor, Bank Building, Ram Kishore Vyas Bhavan, Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur - 302004 (Rajasthan) ➤ Email: horticulturecell@gmail.com
Subject Matter of Procurement	Development and maintenance of Civil Line area (Civil line Rly crossing to Hawa sadak), Elevated Road median and Statue Circle, Jaipur with 2 years maintenance. (A&F No. 135/2020-21) Amount Rs. 17554158.00
Time Period	24 Month
Bid Procedure	Single bid open (in two envelope) competitive E bid procedure at eproc.rajasthan.gov.in
Bid Evaluation Criteria (Selection Method)	Least Cost Based Selection (LCBS)-L1
Websites for downloading Bidding Document, Corrigendum's, Addendums, etc.	➤ Websites: www.sppp.rajasthan.gov.in, www.jda.urban.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in
Website for online bid payment.	➤ Website: www.jda.urban.rajasthan.gov.in ➤ For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bidding Document Fee, online only. ➤ Bidding document fee: Rs. 500/- Rupees ➤ Tender Processing Fee: Rs. 500/- Rupees
Estimated Procurement Cost	➤ INR 44,02,000/- (Rupees Fourty Four Lakh Two thousand only)
*Bid Security Deposit	➤ Amount (INR): 1% (Rs.44020/-) of Estimated Procurement Cost (For A & AA class contractor registered in other department) ➤ Amount (INR): 0.5% (Rs. 22010/-) of Estimated Procurement Cost for Contractor registered in JDA & 1% for sick industries other than S.S.I. of Rajasthan whose cases are pending with Board of Industrial & Financial Reconstruction (BIFR). ➤ In case bidder opts to submit bid security through bank guarantee, the bank guarantee should valid up to 120 days from the date of opening of the bid.
Bid Procedure	➤ Single stage open (in two envelope) competitive bid (Financial Bid) through eBid procedure at http://eproc.rajasthan.gov.in
Publishing date on SPPP Portal	➤ 13.11.2020
Document sale/download/ Bid Participation amount deposit start date on JDA Portal	➤ 13.11.2020
Bid Submission Start Date on eProc Portal of GOR	➤ 13.11.2020
Document sale/download/ Bid Participation amount deposit End date on JDA Portal	➤ 23.11.2020 at 06:00 PM
Bid Submission End date on eProc Portal of GOR	➤ 23.11.2020 at 06:00 PM
Physical BG submission Start Date	➤ 24.11.2020 at 09:30 AM
Physical BG submission End Date	➤ 24.11.2020 at 6:00 PM
**Date/ Time/ Place of Bid Opening	➤ 25.11.2020 at 11.00 AM ➤ NB-SF-204, IIIrd Floor, Bank Building, Ram Kishore Vyas Bhavan, Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur - 302004 (Rajasthan)

Bid Validity

➤ 120 days from the bid submission deadline.

A. Payment Options:**Option-1: Bank Guarantee (BG) against EMD/ Bid Security**

Bidder may opt Bank Guarantee (BG) against EMD (Bid Security), for which bidder requires to prepare BG before applying in the tender. The details of BG requires to be fed on JDA portal before paying balance amount (Tender Fee + RISL Processing Fee). This amount will be paid through Payment Gateway only, option to make balance payment through EFT (RTGS/NEFT) will not be available. If bidder does not opt for BG against EMD, options of making complete payment through Payment Gateway or through EFT (NEFT / RTGS) will be available.

Option-2: Electronic Fund Transfer (EFT: NEFT/RTGS)

If the bidder selects payment mode as EFT (NEFT/RTGS), "Paying Slip for EFT (NEFT/RTGS)" will be generated by the system for the complete amount. The payment can be made from any Bank any Branch using this Paying Slip through NEFT/RTGS (Claim against payment made through EFT in any other JDA bank account will not be acceptable and bidder stands disqualified from participation in the bid applied for). After successful transaction through NEFT/RTGS, as per the standard procedures it may take 4 to 24 hours in process of confirmation of EFT through Auto-Process depending on the time of EFT done. Therefore, option to make payment through EFT (NEFT/RTGS) will be available till 48 hours prior to closing date of bid participation.

Option-3: Payment Gateway (Aggregator)

The facility to make payment through Debit Card, Credit Card, Net banking etc., will be available. User can use this facility from anywhere any time till the closing date & time of bid participation.

B. Bid Participation Receipt

After confirming payment, the bidder will get Bid Participation Receipt on the basis of which user will get the payment details along with other details for bidding on e-Procurement portal of GOR.

- In case of BG as the remaining payment will be done through Payment Gateway, on successful transaction the "Bid Participation Receipt" will be generated on real time basis.
- In case complete payment is done through Payment Gateway, on successful transaction the "Bid Participation Receipt" will be generated on real time basis.
- In case complete payment is done through EFT (NEFT/RTGS), on confirmation of payment from ICICI Bank (Auto Process) "Bid Participation Receipt" will be available on Login of Bidder on JDA portal.

Note:

1. Bidder (authorised signatory) shall submit their offer on-line in Electronic formats both for technical and financial proposal.
2. In case, any of the bidders fails to pay the Tender Fee, BSD, and RISL Processing Fee, online (subject to confirmation), its Bid shall not be accepted.
3. To participate in online bidding process, Bidders must procure a Digital Signature Certificate (Type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can digitally sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, Safecrypt, Ncode etc. Bidders who already have a valid Digital Signature Certificate (DSC) need not procure a new DSC. Also, bidders must register on <http://eproc.rajasthan.gov.in> (bidders already registered on <http://eproc.rajasthan.gov.in> before 30-09-2011 must register again).
4. JDA will not be responsible for delay in online submission due to any reason. For this, bidders are requested to upload the complete bid well advance in time so as to avoid 11th hour issues like slow speed; choking of web site due to heavy load or any other unforeseen problems.
5. Bidders are also advised to refer "Bidders Manual Kit" available at eProc website for further details about the e-Tendering process.
6. Training for the bidders on the usage of e-Tendering System (eProcurement) is also being arranged by DoI T&C, GoR on a regular basis. Bidders interested for training may contact e-Procurement Cell, DoIT&C for booking the training slot. Contact No: 0141-4022688 (Help desk 10 am to 6 pm on all working days) e-mail: eproc@rajasthan.gov.in Address : e-Procurement Cell, JDA, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur
7. The procuring entity reserves the complete right to cancel the bid process and reject any or all of the Bids.
8. No contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/ bidding process unless and until a formal contract is signed and executed between the procuring entity and the successful bidder.
9. Procurement entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal.
10. The provisions of RTPPA Act 2012 and Rules thereto shall be applicable for this procurement. Furthermore, in case of any inconsistency in any of the provisions of this bidding document with the RTPPA Act 2012 and Rules thereto, the later shall prevail.


Sr. Horticulturist
JDA, Jaipur
Procuring Entity

Process for Participation & Depositing Payment Online

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, has decided to receive Bidding document fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit (BSD) through online mode only for which the bidder has to get registered himself on JDA portal

www.jda.urban.rajasthan.gov.in.

To participate in the bid, bidder has to be:

1. Registered on JDA website www.jda.urban.rajasthan.gov.in (by depositing Rs. 500.00 online, the validity of which remains 3 (three) years).

For participating in the Bid, the Bidder has to apply for this Bid and pay the Bid Document Fee, RISL Processing Fee and Bid Security Deposit, online only.

2. Registered on e-Procurement Portal of Government of Rajasthan www.eproc.rajasthan.gov.in for online e-Bid submission.

Methods for depositing on line amount

Option-1: Bank Guarantee (BG) against EMD / Bid Security

Bidder may opt Bank Guarantee (BG) against EMD (Bid Security), for which bidder requires to prepare BG before applying in the tender. The details of BG requires to be fed on JDA portal before paying balance amount (Tender Fee + RISL Processing Fee). This amount will be paid through Payment Gateway only, option to make balance payment through EFT (RTGS/NEFT) will not be available.

If bidder does not opt for BG against EMD, options of making complete payment through Payment Gateway or through EFT (NEFT / RTGS) will be available.

Option-2: Electronic Fund Transfer (EFT: NEFT/RTGS)

If the bidder selects payment mode as EFT (NEFT/RTGS), "Paying Slip for EFT (NEFT/RTGS)" will be generated by the system for the complete amount. The payment can be made from any Bank any Branch using this Paying Slip through NEFT/RTGS (Claim against payment made through EFT in any other JDA bank account will not be acceptable and bidder stands disqualified from participation in the bid applied for). After successful transaction through NEFT/RTGS, as per the standard procedures it may take 4 to 24 hours in process of confirmation of EFT through Auto-Process depending on the time of EFT done. Therefore, option to make payment through EFT (NEFT/RTGS) will be available till 48 hours prior to closing date of bid participation.

Option-3: Payment Gateway (Aggregator)

The facility to make payment through Debit Card, Credit Card, Net banking etc., will be available. User can use this facility from anywhere any time till the closing date & time of bid participation.

C. Bid Participation Receipt

After confirming payment, the bidder will get Bid Participation Receipt on the basis of which user will get the payment details along with other details for bidding on e-Procurement portal of GOR.

- In case of BG as the remaining payment will be done through Payment Gateway, on successful transaction the "Bid Participation Receipt" will be generated on real time basis.
- In case complete payment is done through Payment Gateway, on successful transaction the "Bid Participation Receipt" will be generated on real time basis.

In case complete payment is done through EFT (NEFT/RTGS), on confirmation of payment from ICICI Bank (Auto Process) "Bid Participation Receipt" will be available on Login of Bidder on JDA portal.



Bidder has to submitted as proof of deposited amount against the Bid on eProcurement Portal

Jaipur Development Authority, Jaipur. Bid Participation Receipt	
Bid Detail	Date & Time:-
Bid ID:	Procurement Entity:-
Bid Title:	
Bid Value:	
Bidder Detail	Bid Opening Place:
Name of Entity:	Mobile No.:
Registration Type:	Instrument Amount:
Payment Mode:	Payment Channel:
Instrument No.:	Instrument Date:

Dates Detail		
Sr. No.	Event Name	Event Date
1	Publishing Date	
2	Bid Opening Date	

Specific Instrument for eProc Rajasthan			
Instrument Type			
Instrument Number	Head Name	Amount	Date
	Tender Fee		
	RISL Processing Fee		
	Bid Security Deposit		
Issuer Detail: Jaipur Development Authority		Challan Number:	



JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY, JAIPUR

SCHEDULE AND SPECIFICATIONS

Name of work: Development and maintenance of Civil Line area (Civil line Rly crossing to Hawa sadak), Elevated Road median and Statue Circle, Jaipur with 2 years maintenance.

SCHEDULE 'A' : INFORMATION USEFUL FOR THE CONTRACTORS :

The tenderer should see the site and fully understand the condition of the site before tending & should include all leads, lifts etc. for the material in his item rate for the items as given in the Schedule-G. Then work shall be carried out in accordance with the B.I.S./ IRC/ MORT&H/ IS/ Rajasthan PWD/ JDA detailed specification and to the entire satisfaction of Engineer-in-charge of the work.

SCHEDULE – 'B' : LIST OF THE DRAWING TO BE SUPPLIED BY THE DEPARTMENT:

The drawings may be seen in the office of under signed.

SCHEDULE – 'C' : LIST OF THE DRAWING TO BE SUPPLIED BY THE CONTRACTOR:

List of the drawing to be supplied by the contractor is Nil.

SCHEDULE – 'D' : TEST OF THE MATERIALS :

The test of the material and working and workmanship shall be conducted by the Engineer-in-charge of work and quality control cell as per norms. The result of such tests should confirm to the standard laid down in the Indian Standard, the detailed specification of the B.I.S./ IRC/MORT&H/IS/ Public Works Department, Rajasthan. Proper quality control is required to be maintained by the Contractor. Qualified personnel as required under the contractor enlistment's rules shall have to be engaged at site by the Contractor. In case of failure, the department reserves the right to engage such staff and to recover wages from the Contractor. The contractor shall provide facility of each test at site. The expenses shall be recovered from the contractor in case of his failure to do so.

SCHEDULE – 'E' : SAMPLES OF THE MATERIALS :

The samples of the material to be used by the contractor shall be deposited 15 days in advance with the Engineer In-charge and should be got approved by him before use.

SCHEDULE – 'F' : TIME OF COMPLETION :

The work should start within 7 days of issue of work order and complete within the prescribed time period. In case of failure, the contractor shall be liable for action under the conditions of agreement and special conditions of the tender.

SCHEDULE – 'G' : BILL OF QUANTITIES : Attached separately.

SCHEDULE - 'H' : SPECIAL CONDITON : Attached separately.

SCHEDULE – 'I' : LIST OF THE MATERIAL TO BE SUPPLIED BY THE DEPTT :

No material will be supplied by the JDA. Contractor has to arrange all the materials at his own cost.

SCHEDULE – 'J' : COST OF BID DOCUMENTS, PROCESSING FEES & BID SECURITY:

As per details given in Annexure -2

SCHEDULE – 'K' : OTHER SPECIAL CONDITON : Attached separately

Signature of the Bidder
With full address


Sr. Horticulturist
JDA, Jaipur

SPECIAL CONDITIONS

SCHEDULE 'H'

01. Use of Bitumen mixture Tar mechanical lime grinder, cement concrete mixer & vibrator is essential for the work. Which shall have to be arranged by the contractor at his own level/cost?
02. If there is any typographical error or otherwise in the 'G' Schedule the rates given in the relevant BSR on which schedule 'G' has been prepared, shall prevail.
03. The contractor shall follow the contractor labour regulation and abolition Act 1970 & Rule 1971.
04. The JDA shall have right to cause on audit and technical examination of the work and the final bills of the contractor including all supporting vouchers, abstract etc. to be made within two years after payment of the final bills and if as a result such audit any amount is found to have been over paid/excess in respect of any work done by the contractor under the contract or any work claimed by him to have been done under this contract and found not to have been executed the contractor shall be liable to refund such amount and it shall be lawful ;for the JDA to recover such sum from him in ;the manner prescribed in special condition no. 8 or any other manner legally permissible and if it is found that the contractor was paid less then that was due to him under the contract in respect of any work executed by him under it, the amount of such under payment shall be paid bay the JDA to the contractor.
05. The contractor shall not work after the sunset and before sunrise without specific permission of the authority Engineer.
06. Whenever any claim against the contractor for the payment of a sum of money arises out or under the contracts, the JDA shall be entered to recover the sum by appropriating in part or whole of the security deposit of the contractor. In the event of the security being insufficient or if no security has been taken from the contractor then the balance of the total sum recoverable as the case may shall be deducted from any sum then due or which a any time there contract with the JDA should this sum be sufficient to recover the full amount recoverable, the contractor shall pay to JDA on demand the balance remaining due. The JDA shall further have the right to effect such recoveries under P.D.R. Act.
07. The rate quoted by the contractor shall remain valid for a period of 4(four) months from the date of opening of the tenders.
08. By submission of this tender the contractor agree to abide with all printed conditions provided in the PWD manual from 64 (Chapter 3-para 36) and subsequent modification.
09. No conditions are to be added by the contractor and conditional tender is liable to be rejected.
10. All transaction in the execution of this work and this tender will be liable to sale-tax vide section 2(B) read with sub clause (4) Sale-tax Rule, 1954.
11. If any tenderer withdraws his tender prior to expiry of said validity period given at S.No. 9 or mutually extended prior or makes modifications in the rates, terms and conditions of the tender within the said period which are not acceptable to the department or fails to commence the work in the specified period, fails to execute the agreement the department shall without prejudice to any, other right or remedy, be at liberty to forfeit the amount of earnest money given in any form absolutely. If any contractor, who having submitted a tender does not execute the agreement or start the work or dose not complete the work and the work has to be put to retendering, he shall stand debarred for six months from participating of tendering in JDA in addition to forfeiture of Earnest Money / Security Deposit/Performance guarantee and other action under agreement
12. The contractor shall arrange his own machinery required for the work such as Bitumen Mixer, Hot Mix plants and paver road roller, Tarboiler, sprayer etc.
13. The contractor shall arrange his own storage tanks upto 10 Tones capacity for storing bulk bitumen wherever supplied by the department.
14. Rules regarding enlistment of contractors provide that work ;upto five times limit for which they are qualified for tendering can be allotted to them Therefore, before tender the contractors will keep this in mind, and submit the details of work. Tenders with incomplete or incorrect information are liable to be rejected.
15. Any material not conforming to the specifications collected at site shall have to be removed by the contractor within a period of 3 days of the instructions, issued by the Engineer-Incharge in writing.

Failing which, such material shall be removed by the Engineer-Incharge at risk and the contractor after expiry of 3 days period.

16. The material collected at site and paid provisionally shall remain under the watch and ward of the contractor till it is consumed, fully on the work.
17. The rates provided in tender documents are inclusive of all Taxes royalty.
18. For paver work at least 3 road rollers shall be simultaneously deployed.
19. Bitumen for tack coat or any other purposes, shall be applied only by a bitumen sprayer of a mechanical pressure.
20. No extra lead of earth/material shall be paid over and above as specified in 'G' schedule. Source/borrow pit area for earth shall have to be arranged by the Contractor at his own cost.
21. Undersigned has full right to reject any or all tenders without given any reasons.
22. Mortar of Masonry work and lean concrete will be permitted mixer with hopper.
23. As per Supreme Court decision "All contracts with Governments shall require registration of workers under the building and other construction workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 and extension of benefits to such workers under the act."
24. Special Conditions of Contract regarding Defect Liability Period (DLP) for Roads works costing Rs. 25.00 lacs and more shall be applicable.
25. The tenderer are required to submit copy of their enlistment as contractor.
26. Conditions of RPWA-100 will be mandatory & acceptable to the contractor.
27. Any tender received with unattested cutting/overwriting in rates shall be rejected and such bidder will be debarred from tendering for three months in JDA.
28. All the provisions of THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and RULES, 2013, will be applicable. if there is any contradictions in existing special conditions and provisions of THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and RULES, 2013, provisions of THE RAJASTHAN TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 2012 and RULES, 2013 shall be applicable.

**Signature of Contractor
with full address & Mobile No.**


**Sr. Horticulturist
JDA, Jaipur**

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

- (a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) Disclose conflict of interest, if any; and
- (h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- (i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:
 - (a) Have controlling partners/shareholders in common; or
 - (b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - (c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
 - (d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - (e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
 - (f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, works or services that are the subject of the Bid; or
 - (g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.



Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin response to their Notice inviting Bids No.....Dated.....I/wehereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :



Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is JDC, JDA, Jaipur
The designation and address of the Second Appellate Authority is EC, JDA, Jaipur

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement
- (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations
- (d) Cancellation of a procurement process
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

- (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,
- (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.



(6) Fee for filing Appeal:-

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

- (a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing
- (b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be shall-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.



Annexure D :Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial Bids on the following basis:

- (i) if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- (ii) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- (iii) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated bid does not accept the correction of errors, its bid shall be disqualified and its bid security shall be forfeited or its bid securing declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary quantities.

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or services originally specified in the bidding documents may be increased or decreased, by a specified percentage, but such increase or decrease shall be according to provisions of RTPP ACT/RULE 2012 and 2013.
- (ii) If the Procuring entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the bidding document due to change circumstances, the bidder shall not be entitled to any claim or compensation except otherwise provide in the conditions of contract.
- (iii) In case of procurement of goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall be according to provisions of RTPP ACT/RULE 2012 and 2013..

3. Dividing quantities among more than one bidder at the time of award (In case of procurement of Goods):-

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, then in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidder in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.



SCHEDULE 'H': CONDITION OF CONTRACT

FORM No. 1

[see rule 83]

**Memorandum of Appeal under the Rajasthan
Transparency in Public procurement Act, 2012**

Appeal No.....ofBefore
the.....(First/Second Appellate authority)

1. Particulars of appellant :
 - (i) Name of the appellant :
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address :
2. Name and address of the respondent(s):
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the office/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant propose to be represented by a representative the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal :
(Supported by an affidavit)
7. Prayer :

Place :

Date :



Appellant's Signature

Format of (Bank Guarantee) -Encashable at branch of the bank in Jaipur City.

To
Secretary,
Jaipur Development Authority,
Jaipur

Sub:

Bank Guarantee No. _____ dated _____ for [amount of Security in figures] [in words] on behalf of _____ [Name of the Bidder] against the Security Deposit for the work of "_____
_____" (Name of work)"

WHEREAS, _____ [name of Bidder with address] (hereinafter called "the Bidder") has submitted his Bid dated for the work of "_____
_____". (Name of Work) (hereinafter called "the Bid").

KNOW ALL PEOPLE by these presents that we _____
_____ (Name of Bank) of having our registered office at _____
_____ [name of country] having our registered office at _____
(hereinafter called "the Bank") are bound unto Secretary, Jaipur Development Authority. (Hereinafter called "the Employer") in the sum of Rupees _____ [Amount of Security in figures] _____ (in words) only for which payment will and truly to be made to the said Employer, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.

That on demand of JDA, this Bank Guarantee is encashable at following branch in Jaipur City.

1. Name of Bank:
2. Name of the branch with branch code:
3. Address:
4. E-Mail Id:
5. Telephone No.
6. Fax No.:

SEALED with the Common Seal of the said Bank this _____ day of _____ of 20____.

THE CONDITIONS of this obligation are:

- (1) if the Bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the Form of Bid;
- (2) if the Bidder refuses to accept the correction of errors in his bid;
- (3) If the Bidder, having been notified of the acceptance of his Bid by the Employer during the period of Bid validity;
 - (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the Instructions to Bidders, or
 - (b) fails or refuses to furnish the Performance Security, in accordance with the Instructions to Bidders;

We undertake to pay to the Employer up to the above amount upon receipt of his first written demand, without the Employer having to substantiate his demand, provided that in his demand the Employer will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or more of the above conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Guarantee will remain in force up to and including the date 30 days after the date of expiration of the Bid Validity, as stated in the Instructions to Bidders, or any such extension thereto as may be agreed by the Bidder, notice of which extension(s) to the Bank is hereby waived. Any demand in respect of this Guarantee should reach the Bank not later than the above date.

The amount covered under the above Bank Guarantee shall be automatically be credited in the accounts of JDA in ICICI Bank, JDA Campus, Jaipur through ISFC code No ICICI 006754. Bank Account No. 675401700518 on the date of expiry or its validity, unless the agencies get it re-validated well before its expiry date or produce NOC from JDA in written for its release.

Date _____ Signature of the Bank _____

Witness _____ Seal _____

[Signature, Name and Address]

[Note: To be furnished on appropriate non-judicial stamps.]



निविदा की शर्तों के अनुसार मांगी गई मशीनरी का विवरण निम्नानुसार है :-

(सिविल लाईन्स क्षेत्र (सिविल लाईन रेल्वे कॉसिंग से हवा सडक) स्टेच्यू सर्किल व एलीवेटेड रोड का विकास एवं दो वर्ष तक संधारण का कार्य) कुल लंबाई 7 किमी.

क्र.सं.	मशीन/उपकरण का नाम	Specification	मांगी गई संख्या	ईजन नं.	चेचिस नं.
1	ब्रश कटर (पैट्रोल चलित)	Engine power- Minimum 1 HP/ Minimum 20 cc	2	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
2	हैज कटर/ट्रीमर (पैट्रोल चलित)	Engine power – Minimum 0.75 HP/ Minimum 20 cc	2	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
3	बड़े पेड़ों की कंटाई-छंगाई मशीन (Trimmer & Pruner for Big trees/Pole pruner/telescopic Chainsaw) मशीन (श्रमिक जिससे भूमि पर खड़ा रहकर कम से कम 5 मीटर ऊंचाई के पेड़ों की कंटाई-छंगाई कर सके)	Engine power Minimum 1.25 HP/ Minimum 25 cc length 4 mtr.	1	आवश्यक	आवश्यक नहीं
4	लॉन कंटिंग मशीन (पैट्रोल/डीजल चलित)	Engine Displacement- Minimum 140 cc Minimum Deck Width 18"	2	आवश्यक नहीं	आवश्यक नहीं
5	ट्रेक्टर मय ट्रौली*		2	आवश्यक	आवश्यक
6	ट्रेक्टर मय टैंकर*		2	आवश्यक	आवश्यक

(नोट :- निविदा समिति द्वारा उक्त उपकरणों का भौतिक सत्यापन भी किया जावेगा।)

* बिन्दु सं. 5 व 6 पर उल्लेखित ट्रेक्टर मय टैंकर/ट्रौली का उपयोग अन्य कार्य स्थल/अन्य कार्य आदेश पर नहीं किया जायेगा इस आशय का शपथ पत्र कार्यादेश के समय प्रस्तुत करना होगा।

14

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

पूर्व से विकसित रोड साइड/मीडियन/ग्रीनबेल्ट/तिकोने/सर्किलों के विकास एवं संधारण कार्यों के नियम एवं शर्तें

अ. पात्रता :-

1. अन्य राजकीय विभागों/बोर्डों/निगमों/प्राधिकरणों में उद्यानिकी श्रेणी 'ए' एवं 'एए' में पंजीकृत एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण के आदेश क्रमांक जविप्रा/तसनिअ-1/2014-15/डी-753 दिनांक 16.02.15 के अनुसार उद्यानिकी कार्यों (Horticultural work) हेतु निम्नानुसार निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत संवेदक ही निविदा में भाग लेने के पात्र होंगे।

श्रेणी	कार्य की अनुमानित लागत राशि
H-I	कोई सीमा नहीं
H-II	रु. 100 लाख तक के कार्यों के लिये
H-III	रु. 50 लाख तक के कार्यों के लिये
H-IV	रु. 30 लाख तक के कार्यों के लिये

2. संवेदक/फर्म द्वारा पिछले पाँच वर्षों में राज्य सरकार/निगम/राजकीय कार्यालय/निगम/परिषद/विकास प्राधिकरण आदि संस्थानों में रोड साइड/मीडियन/ग्रीनबेल्ट/तिकोने/सर्किलों के विकास एवं संधारण कार्यों के लिए 30.00 लाख रु. से अधिक की निविदा में निविदा राशि के 50 प्रतिशत राशि का निविदा दिनांक से पांच वर्ष पूर्व की अवधि में किसी एक कलैण्डर वर्ष/एकल कार्यादेश के अंतर्गत संतोषप्रद कार्य पूर्ण किया होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 3. संवेदक को रोड साइड के विकास एवं संधारण हेतु प्रति पांच किमी में एक ट्रैक्टर मय ट्रौली/टैंकर की मात्रा में उपलब्ध करवाने होंगे, जिसके स्वयं के नाम/संवेदक द्वारा अनुबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं ट्रैक्टर के बीमा संबंधी सभी दस्तावेजों की प्रतियां निविदा के साथ संलग्न करने होंगे।
 4. रोड साइड/मीडियन/ग्रीनबेल्ट के संधारण हेतु कार्यादेश प्राप्त होते ही संवेदक को स्वयं के स्वामित्व प्रमाण पत्र की निम्नानुसार स्वचालित मशीनरी रखना आवश्यक होगा, जो पांच वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हों -
 5. लॉन काटने की मशीन न्यूनतम दो
 6. ब्रश कटर न्यूनतम दो
 7. हैज कटर न्यूनतम दो
 8. बड़े पेड़ों की कंटाई-छंगाई (Trimmer & Pruner) मशीन एक
- उक्तानुसार उक्त मशीनरी के स्वामित्व प्रमाण पत्र अथवा अनुबंधित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करने आवश्यक होंगे।

38

ब. विकास एवं संधारण की शर्तें :-

1. **कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति:-** साइट के विकास एवं संधारण के आदेश जारी होने की दिनांक से सम्बन्धित कार्य प्रभारी से साइट/पार्क सम्भालने होंगे एवं जिसकी चार्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। उसी तरह अनुबन्ध की समाप्ति पर चार्ज पुनः कार्य प्रभारी को संवेदक द्वारा सम्भलाया जाकर चार्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि पुनः प्रस्तुत करनी होगी ताकि तदनुसार उन्हें बकाया अंतिम भुगतान एवं नोडयूज प्रमाण पत्र दिया जा सके।
2. साइट पर लगाये जाने वाले पौधों की आपूर्ति संवेदक द्वारा की जावेगी। संवेदक द्वारा लगाया जाने वाला पौधा स्वस्थ, बीमारी रहित होना चाहिये तथा पौधा "जी" शिड्यूल में निर्धारित ऊँचाई से कम नहीं होनी चाहिये। पौधों की ऊँचाई कॉलर हाइट से नापी जावेगी।
3. संवेदक को जी शिड्यूल एवं संलग्न सूची में दर्ज निर्धारित प्रजाति, मापदण्ड एवं मात्रानुसार लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के पेड़-पौधों का स्टॉक कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के अंदर-अंदर स्वयं की नर्सरी में उपलब्ध करना होगा, जिसका प्रमाणीकरण उद्यानिकी शाखा के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
4. विकास कार्य की शर्त सं. तीन के अनुसार प्रमाणीकरण दौरान संवेदक की नर्सरी में लगाये जाने वाले पेड़-पौधों का स्टॉक निर्धारित प्रजाति, मापदण्ड एवं मात्रानुसार नहीं पाये जाने पर कार्यादेश निरस्त कर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता को कार्यादेश दे दिया जावेगा।
5. उद्यानिकी शाखा के अधिकारियों द्वारा पौधों के स्टॉक का प्रमाणीकरण संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त ही तदनुसार संवेदक द्वारा कार्यस्थल पर पेड़-पौधे लगाये जायेंगे। संवेदक अपनी इच्छा से पेड़-पौधे नहीं लगायेगा। संवेदक द्वारा मनमर्जी से पेड़-पौधे लगा दिये जाते हैं तो संवेदक को उन्हें तीन दिवस में स्वयं को हटाना होगा तथा इन पेड़-पौधा के लिये किसी प्रकार का कोई भी भुगतान देय नहीं होगा।
6. विकास संबंधी समस्त कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करना होगा। निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर विभाग द्वारा नोटिस दिया जाकर किसी अन्य संवेदक से बीएसआर दर से कार्य करवा लिया जावेगा एवं विभाग द्वारा दी गई अतिरिक्त राशि संवेदक से वसूल की जा सकेगी एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार एवं RIPP ACT 2012 एवं RTPP रूल्स 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
7. पौधों की कटाई छंटाई पूरी रोड साइड, ग्रीनबेल्ट, मीडियन में एवं बाहर तथा आसपास की जंगली घास, खरपतवार, लेवलिंग, ड्रेसिंग इत्यादि की सफाई ठेकेदार को जी-शिड्यूल/कार्य प्रभारी के निर्देशानुसार करनी होगी।
8. **कार्य विवरण:-** संवेदक को संधारण संबंधी कार्य निम्न मापदंडानुसार करना आवश्यक होगा

क्र.स.	कार्य का नाम	वर्ष में कराये जाने वाले कार्य की मात्रा
1.	* पौधों में पानी देने का कार्य 20 लीटर प्रति वार प्रति पौधा/30 लीटर प्रतिवार प्रति वर्गमीटर	प्रतिमाह 10 वार या आवश्यकतानुसार
2.	पौधों में खाद देने का कार्य	वर्ष में दो बार (सितम्बर व फरवरी में)
3.	कीटनाशक दवा का प्रयोग	तीन माह (जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर) में एक बार एवं अतिरिक्त



		बार आवश्यकतानुसार
4.	निराई-गुढाई कर थॉटला बनाना (20 लीटर पानी आने योग्य)	प्रतिमाह एक बार एवं अतिरिक्त बार आवश्यकतानुसार
5.	हैज कटिंग/ट्रिमिंग-पूनिंग	प्रतिमाह एक बार एवं अतिरिक्त बार आवश्यकतानुसार
6.	साफ-सफाई कार्य	आवश्यकतानुसार नियमित रूप से

*नोट :- पौधों को ट्रेक्टर टैंकर अथवा अन्य संसाधन से पानी देते समय भौतिक सत्यापन हेतु मोबाईल से ओपन कैमरा फोटोग्राफ्स लिया जाकर संबंधित जोन प्रभारी को दो दिवस में भिजवाया जाना आवश्यक है।

- वृक्षारोपण एवं संधारण कार्य जिनमें प्रति पौधा प्रतिमाह राशि रु. 9.50 की दर से बीएसआर अनुसार पौध संधारण का भुगतान संवेदक को देय है। इस प्रकार के पौधों को पानी दिये जाने के कार्य में पारदर्शिता की दृष्टि से प्रति माह 20 लीटर पानी प्रति पौधा में न्यूनतम पांच बार पानी दिये जाने के कार्य की ओपन कैमरा फोटोग्राफ्स संवेदक को प्रत्येक माह के बिल के साथ उपलब्ध कराना आवश्यक होगा एवं पौधों को पानी देते समय कार्य के भौतिक सत्यापन हेतु मोबाईल से ओपन कैमरा फोटोग्राफ्स लिया जाकर संबंधित जोन प्रभारी को दो दिवस में भिजवाया जाना आवश्यक है।
- विभाग द्वारा किसी अन्य रोड साइड वृक्षारोपण में आवश्यकता पडने पर इस कार्य की दरों एवं शर्तों के अन्तर्गत कार्य करवाया जा सकता है।
- संधारण के दौरान यदि संवेदक की लापरवाही या गलती से 10 प्रतिशत से अधिक पौधे नष्ट हो जाते है तो उस माह के संधारण का कोई भुगतान संवेदक को नहीं किया जावेगा। संवेदक द्वारा नष्ट हुए पौधों के स्थान पर उचित मौसम पर उतनी ही ऊंचाई एवं उसी प्रजाति के पौधें रोपित करने होंगे। तदुपरांत कार्यप्रभारी द्वारा कार्य प्रमाणीकरण की रिपोर्ट के अनुसार ही भुगतान देय होगा।
- मीडियन/ग्रीनबेल्ट/तिकोने/सर्किलों में साफ-सफाई का कार्य आवश्यकतानुसार नियमित रूप से करना होगा, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
- संवेदक को साइट पर लगे बड़े पेड़ों की आवश्यकतानुसार विशेष आकृति में साइट इंचार्ज के निर्देशानुसार ट्रीमिंग - पूनिंग करनी होगी, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
- निविदा मे अलग-2 BSR Items की अलग-2 दरें किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी एवं अलग-2 Item की अलग-2 दर अंकित करने पर निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा। संवेदक द्वारा दी गई सशर्त निविदा बिना आकलन के निरस्त मानी जावेगी।
- संवेदक द्वारा किये गये कार्य का इन्द्राज/प्रमाणीकरण कार्यप्रभारी द्वारा कार्य पंजिका में किया जायेगा एवं समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा चैक किया जायेगा। कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने का इन्द्राज भी इसी पंजिका में होगा। संवेदक हैज कटिंग, वीड अप्रूटिंग का कार्य जोन प्रभारी एवं उच्चाधिकारियों की अनुमति से ही प्रारंभ करेगा एवं उक्त कार्य के पूर्ण होने पर जोन प्रभारी को सूचित करेगा। जिसका इन्द्राज कार्य पंजिका में किया जावेगा। कार्य का मासिक बिल भुगतान इन्ही इन्द्राज के आधार पर होगा। विकास एवं संधारण कार्यों में कमी पाये जाने पर नहीं किये कार्यों की कटौति बिना टी. पी. काटकर बी.एस.आर. 2016 की दरों से दुगुनी दर से किया जावेगा।



16. संवेदक को एक वर्ष के संधारण के पश्चात (कार्य समाप्ति के अन्त में) कार्य प्रारम्भ के समय लगाये गये पौधों की संख्या वाहन एक्सीडेन्ट से, रोड विस्तार, भवन निर्माण, सीवर लाइन, विद्युत लाइन डालने आदि विकास कार्यों के दौरान नष्ट हुये पौधों की संख्या को कम करते हुये शेष बचे पौधों की सं. के अनुसार पौधे स्वस्थ एवं सही हालत में कार्य प्रभारी को चार्ज में संभलाने होंगे। इससे कम संख्या में पौधें चार्ज में संभलवाये जाने पर कम हुये पौधों की संख्यानुसार उनके विकास एवं संधारण पर किये गये खर्च की दुगुनी राशि संवेदक से वसूल की जावेगी।
17. शर्त सं. 15 में वर्णित कारणों से नष्ट हुये पौधों की सूचना 2 दिवस में मय फोटोग्राफ्स के जोन प्रभारी को देनी होगी एवं उक्त नष्ट हुये पौधों का विवरण भी कार्य पंजिका में तत्काल इन्द्राज किया जावेगा एवं इनका सत्यापन सहायक वन संरक्षक/वरिष्ठ उद्यानविज्ञ से करवाना होगा अन्यथा उक्त नष्ट हुये पौधे संवेदक की लापरवाही से नष्ट होना माने जावेंगे।
18. संवेदक द्वारा संधारित की जा रही साइट/कार्य स्थल पर आंधी, तूफान या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा से वृक्ष गिर जाता है या वृक्ष का कोई भाग टूट जाता है तो उसे तत्काल काटकर एकत्रित कर एवं परिवहन कर सुरक्षित जोन प्रभारी के निर्देशानुसार पार्क में रखेगा।
19. जी शिड्यूल में अंकित बी.एस.आर./नॉन बीएसआर के आईटमों की मात्रा में RTPP ACT 2012 & RTPP Rule 2013 के प्रावधानों तक कटौती एवं बढ़ोतरी की जा सकती है।
20. निविदा में बीएसआर दर से कम दर डालने वाले संवेदक को नियमानुसार देय कार्य सम्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त बीएसआर दर से कम दर की अंतर राशि की सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति, मूल रूप से कार्य सम्पादन प्रतिभूति के अनुसार ही कार्य की अजबि हेतु निर्धारित प्रारूपों यथा बैंक गारंटी/बैंक ड्राफ्ट/FDR/NSC आदि में देनी होगी। न्यूनतम दर वाले बोलीदाता की बोली स्वीकृत कर Letter of Acceptance जारी किया जायेगा और तत्समय ही BSR दर से कम दर की अंतर राशि की कार्य सम्पादन की प्रतिभूति को प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार निर्धारित समय दिया जावेगा। निर्धारित समय में यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराने पर RTPP ACT/RULES 2012 & 13 के अनुसार कार्यवाही कर प्रतिभूति जब्त की जायेगी। यदि संवेदक अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं कर पाता है या पूर्ण नहीं करता है तो उक्त BID Security के साथ-साथ उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अंतर राशि दोनों ही जब्त कर ली जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अंतर राशि भी मूल कार्य सम्पादन प्रतिभूति की शर्तों के अनुसार ही कार्य संतोषजनक पूर्ण होने पर लौटाई जावेगी।
21. संवेदक के द्वारा अनुबंध एवं निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा निम्न गुणवत्ता के कार्य कराये जाने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के साथ बीएसआर दर से कम दर की अंतर की कार्य सम्पादन प्रतिभूति भी जब्त कर संवेदक को एक वर्ष के लिए टेण्डर में भाग लेने से डी-बार किया जा सकेगा।
22. अघोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
23. उपरोक्त कार्यों के सम्बन्ध में उत्पन्न विवादों का न्याय क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
24. उक्त निविदा की नियम एवं शर्तों में वर्णित किसी शब्द या वाक्य के निर्वचन से सम्बन्धित विवाद के सम्बन्ध में जयपुर विकास आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
25. संवेदक कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना, श्रमिकों की सुरक्षा, न्यायिक विवाद, प्रोविडेन्ट फण्ड आदि के लिये श्रमिक अधिनियम अनुसार स्वयं जिम्मेदार होगा।



26. भविष्य में उक्त मार्ग पर इस हेतु नियुक्त वास्तुकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्लान अनुरूप नवीन विकास कार्य किये जाकर सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाना है, जिसके अनुसार जिस क्षेत्र में विकास कार्य किया जावेगा उसके अनुरूप उस क्षेत्र के संधारण कार्य को घटाया अथवा बढ़ाया जा सकता है।
27. पौधा नष्ट होने पर संवेदक को उतनी ही ऊँचाई व उसी प्रजाति का पौधा अनुकूल मौसम में लगाना होगा, यदि नष्ट हुआ पौधा सात दिवस में नहीं बदला गया तो पौधे की कीमत सहित उस पौधे पर किया गया समस्त व्यय "जी" शिड्यूल की निर्धारित दर की दुगुनी दर से वसूल किया जावेगा।
28. क्षेत्र में पेड़-पौधों के संधारण हेतु मीडियन, ग्रीनबेल्ट व रोड साइड में न्यूनतम तीन श्रमिक प्रति पांच किमी लंबाई में तथा तिकोने व सर्किल के लिए दो श्रमिक प्रति हैक्टर प्रतिदिन की दर से नियमित रूप से वर्दी पहनकर कार्य करेंगे, जिनका हाजरी रजिस्टर संधारण करना संवेदक के लिए अनिवार्य होगा। इससे कम श्रमिक पाये जाने पर प्रतिदिन प्रति श्रमिक 500 रु. की पेनल्टी लगाई जावेगी। श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों की पालना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
29. संवेदक को प्रत्येक वर्ष वृक्ष प्रजाति के पेड़ों में (1500 एमएम या अधिक ऊँचाई के) 2 बार में 4 किलो (सितम्बर में 2 किलो व फरवरी में 2 किलो) गोबर की कम्पोस्ट खाद प्राति पौधा में वरिष्ठ उद्यानविज्ञ या प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में डालनी होगी, इसके लिये कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी। निर्धारित समय पर निर्धारित मात्रा में खाद नहीं डालने पर पौधे पर अब तक किये गये व्यय की राशि की वसूली संवेदक से की जावेगी।

भुगतान की शर्त :-

1. संवेदक को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रस्तुत करने होंगे इसके पश्चात बिल प्रस्तुत करने पर 5 प्रतिशत, अगले माह में प्रस्तुत करने पर 10 प्रतिशत, द्वितीय माह में प्रस्तुत करने पर 15 प्रतिशत राशि पेनल्टी के रूप में काटी जावेगी तथा तीन माह पश्चात बिल प्रस्तुत किये जाने पर कोई भुगतान देय नहीं होगा।
2. मासिक भुगतान दैनिक विवरणिका कार्यप्रभारी/क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा भरी हुई एवं वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान द्वारा समय-समय पर चैक की हुई प्रविष्टियों के आधार पर किया जायेगा।
3. संवेदक को भुगतान किये जाने वाले बिलों में CGST/GST, आयकर, बिक्री कर एवं अन्य राशि की कटौती सरकार द्वारा समय-2 पर जारी नियमों के अनुसार देय होगी।
4. जमा की गई Performance security राशि उक्त ठेके के सफलतापूर्वक समाप्त होने के 3 माह पश्चात आवश्यक समायोजन, कटौति होने पर समायोजन करते हुये तत्पश्चात लौटाई जावेगी।

संवेदक के हस्ताक्षर
संवेदक का नाम व
पूर्ण पता मय दूरभाष नम्बर

वरिष्ठ उद्यान विज्ञ
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा क्षेत्र में पार्कों का विकास एवं संधारण कार्यों की नियम एवं शर्तें

अ. पात्रता :-

1. अन्य राजकीय विभागों/बोर्डों/निगमों/प्राधिकरणों में उद्यानिकी श्रेणी 'ए' एवं 'एए' में पंजीकृत एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में प्राधिकरण के आदेश क्रमांक जविप्रा/तसनिअ-I/2014-15/डी-753 दिनांक 16.02.15 के अनुसार उद्यानिकी कार्यों (Horticulture work) हेतु निम्नानुसार निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत संवेदक ही निवेदा में भाग लेने के पात्र होंगे।

श्रेणी	कार्य की अनुमानित लागत राशि
H-I	कोई सीमा नहीं
H-II	रु. 100 लाख तक के कार्यों के लिये
H-III	रु. 50 लाख तक के कार्यों के लिये
H-IV	रु. 30 लाख तक के कार्यों के लिये

2. संवेदक/फर्म द्वारा पिछले पाँच वर्षों में राज्य सरकार/निगम/राजकीय कार्यालय/निगम/परिषद/विकास प्राधिकरण आदि संस्थानों में उद्यान/पार्क का विकास एवं संधारण कार्यों के लिए 30.00 लाख रु. से अधिक की निवेदा में निवेदा राशि के 50 प्रतिशत राशि का निवेदा जारी दिनांक से पांच वर्ष पूर्व की अवधि में एकल कार्यादेश के अंतर्गत संतोषप्रद कार्य पूर्ण किया होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
3. संवेदक को रोड साइड के विकास एवं संधारण हेतु प्रति पांच किमी में एक ट्रेक्टर मय ट्रौली/टैंकर उपलब्ध करवाना होगा, जिसका स्वयं के नाम/संवेदक द्वारा अनुबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं ट्रेक्टर का बीमा संबंधी सभी दस्तावेजों की प्रतियां निवेदा के साथ संलग्न करने होंगे।
4. पार्क संधारण हेतु निवेदा के साथ ही संवेदक को स्वयं के स्वामित्व प्रमाण पत्र की निम्नानुसार रज्यालित मशीनरी पार्क में रखना आवश्यक होगा, जो जारी निवेदा की दिनांक से पांच वर्ष से अधिक पुरानी नहीं हों -
 1. लॉन काटने की मशीन (Ride on grass cutter)*
 2. ब्रश कटर न्यूनतम तीन
 3. हैज कटर न्यूनतम दो
 4. बड़े पेड़ों की कंटाई-छंगाई (Trimmer & Pruner) मशीन
 5. सूखी टहनियों व पत्तों से खाद बनाने की मशीन
 6. 8 रैनगन एवं 20 पाइपों का एक स्प्रिंकलर सैट प्रति पांच हैक्टर तक



7. कचरा निस्तारण हेतु एक हाथ रिक्शा/ई-रिक्शा प्रति पांच हैक्टर तक

* लॉन काटने की मशीन (Ride on grass cutter) में तकनीकी खराबी आ जाने पर दो दिवस में अन्य लॉन काटने की मशीन (Ride on grass cutter) व्यवस्था संवेदक को करनी होगी अन्यथा प्रति दिवस 1000 रु. के हिसाब से जुर्माना संवेदक से वसूल किया जायेगा। (दो दिवस का निर्धारण संवेदक को दी गई लिखित अथवा वाट्सअप/ईमेल सूचना के आधार पर किया जायेगा।)

उक्तानुसार उक्त मशीनरी के स्वामित्व प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करने आवश्यक होंगे।

ब:- विकास कार्य बाबत -

1. पार्क में लगाये जाने वाले पौधों की आपूर्ति संवेदक द्वारा की जावेगी। संवेदक द्वारा लगाया जाने वाला पौधा स्वस्थ, बीमारी रहित होना चाहिये तथा पौधा "जी" शिड्यूल में निर्धारित ऊँचाई से कम नहीं होना चाहिये। पौधों की ऊँचाई कॉलर हाइट से नापी जावेगी।
2. संवेदक को जी शिड्यूल एवं संलग्न सूची में दर्ज निर्धारित प्रजाति, मापदण्ड एवं मात्रानुसार लगाये जाने वाले समस्त प्रकार के पेड़-पौधों का स्टॉक कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस के अंदर-अंदर स्वयं की नर्सरी में उपलब्ध करना होगा, जिसका प्रमाणीकरण उद्यानिकी शाखा के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
3. विकास कार्य की शर्त सं. दो के अनुसार प्रमाणीकरण दौरान संवेदक की नर्सरी में लगाये जाने वाले पेड़-पौधों का स्टॉक निर्धारित प्रजाति, मापदण्ड एवं मात्रानुसार नहीं पाये जाने पर कार्यादेश निरस्त कर बैंक गारंटी जब्त कर द्वितीय न्यूनतम बोलीदाता को कार्यादेश दे दिया जावेगा।
4. उद्यानिकी शाखा के अधिकारियों द्वारा पौधों के स्टॉक का प्रमाणीकरण संतोषप्रद पाये जाने के उपरान्त ही तदानुसार संवेदक द्वारा कार्यस्थल पर पेड़-पौधे लगाये जायेंगे। संवेदक अपनी मनमर्जी से पेड़-पौधे नहीं लगायेगा। संवेदक द्वारा मनमर्जी से पेड़-पौधे लगा दिये जाते हैं तो संवेदक को उन्हें तीन दिवस में स्वयं को हटाना होगा तथा इन पेड़-पौधा के लिये किसी प्रकार का कोई भी भुगतान देय नहीं होगा।
5. **श्रमिक :-** पार्क संधारण हेतु प्रतिदिन न्यूनतम दो श्रमिक प्रति हैक्टर की दर से नियमित रूप से वर्दी पहनकर कार्य करेंगे, जिनका हाजरी रजिस्टर संधारण करना संवेदक के लिए अनिवार्य होगा। इससे कम श्रमिक पाये जाने पर प्रतिदिन प्रति श्रमिक 500 रु. की पेनल्टी लगाई जावेगी। श्रमिक अधिनियम के प्रावधानों की पालना की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
6. विकास कार्यों के अन्तर्गत पार्क क्षेत्र में दूब लगाना, क्यारियां खोदना, पेड़ - पौधे एवं झाड़ियां लगाना, पौधों का परिवहन करना, दूब व क्यारियों में खाद देना, कीटनाशक दवाई का प्रयोग करना, साफ सफाई व दूब काटने का कार्य इत्यादि कार्य संवेदक द्वारा किया जावेगा।
7. पार्क क्षेत्र के समस्त विकास संबंधी कार्य पूर्ण होने के पश्चात् इस विकसित क्षेत्र की मात्रा को संधारण कार्य में निर्देशानुसार सम्मिलित किया जावेगा।
8. विकास संबंधी समस्त कार्य निर्धारित समय पर पूर्ण करना होगा। निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने पर विभाग द्वारा नोटिस दिया जाकर किसी अन्य संवेदक से बीएसआर दर से कार्य करवा लिया जावेगा।

✓

- एवं विभाग द्वारा दी गई अतिरिक्त राशि संवेदक से वसूल की जा सकेगी एवं अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार एवं RTTP ACT 2012 एवं RTTP रूल्स 2013 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।
9. संवेदक को जी शिड्यूल में निर्धारित किस्म की दूब स्वयं के खर्चे पर खरीद कर लाकर निर्धारित स्थान पर लगानी होगी।
 10. दूब लगाने से पूर्व उस क्षेत्र को समतल करना, विभाग द्वारा आपूर्तित मिट्टी फैलाना व माउन्डस बनाना, कंकर पत्थर हटाकर दांतली से साफ सफाई कर खाद मिलाकर दूब लगाने योग्य बनाना व दूब लगाने का कार्य करना होगा।
 11. दूब लगाने के काम में ली जाने वाली गोबर की कम्पोस्ट खाद स्वयं संवेदक को निर्धारित मात्रा में खरीद कर डालनी होगी, जिसका भुगतान विभाग द्वारा G-Schedule के अनुसार देय होगा।
 12. विकास संबंधी कार्य की मात्रा को आवश्यकतानुसार घटाया- बढ़ाया एवं आवश्यकता नहीं होने पर कार्य ही भी करवाया जा सकता है एवं आवश्यकता नहीं होने पर कार्य नहीं भी करवाया जा सकता है।

संधारण कार्य बाबत -

1. **कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति:-** पार्कों के रख-रखाव के आदेश जारी होने की दिनांक से सम्बन्धित कार्य प्रभारी से पार्क सम्भालने होंगे एवं जिसकी चार्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि कार्यालय में प्रस्तुत की जावेगी। उसी तरह अनुबन्ध की समाप्ति पर चार्ज पुनः कार्य प्रभारी को संवेदक द्वारा सम्भलाया जाकर चार्ज रिपोर्ट की प्रतिलिपि पुनः प्रस्तुत करनी होगी ताकि तदनुसार उन्हें बकाया अंतिम भुगतान एवं नोड्यूल प्रमाण पत्र दिया जा सके।

2. **कार्य विवरण:-** संवेदक को संधारण संबंधी कार्य निम्न मापदंडानुसार करना आवश्यक होगा

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य संख्या
1.	लॉन क्षेत्र में एवं समस्त प्रकार के पेड़-पौधों में पानी देने का कार्य	प्रतिमाह 10 बार या आवश्यकतानुसार
2.	लॉन कटिंग करने का कार्य	प्रतिमाह दो बार या आवश्यकतानुसार
3.	लॉन एवं क्यारियों से खरपतवार निकालना	प्रतिमाहमें एक बार या आवश्यकतानुसार
4.	लॉन एवं क्यारियों में ऐज बनाने का कार्य	प्रतिमाह एक बार या आवश्यकतानुसार
5.	निर्देशानुसार क्यारियां खोदकर तैयार करना व पौधे लगाना अ. नये पेड़ पौधे लगाना ब. गमलो का संधारण, रंग करना, पोटींग व रिपोटींग करना। स. नये गमले भरना, पौधे लगाना एवं उनका संधारण करना	आवश्यकतानुसार



6.	लॉन क्षेत्र के अतिरिक्त पार्क क्षेत्र में खरपतवार, कंकड़ पत्थर अलग कर सफाई कर समतल बनाना एवं थॉवले बनाने का कार्य	प्रतिमाह एक बार या आवश्यकतानुसार
7.	सम्पूर्ण पार्क क्षेत्र में समुचित सफाई, झाड़ू से सफाई करना, व कचरा निर्धारित स्थान पर डालना	नियमित रूप से रोजाना

*नोट :- पौधों को ट्रेक्टर टैंकर अथवा अन्य संसाधन से पानी देते समय का भौतिक सत्यापन हेतु मोबाईल से ओपन कैमरा फोटोग्राफ्स लिया जाकर संबंधित जोन प्रभारी को यथा समय/तत्काल भिजवाया जाना आवश्यक है।

3. **सुरक्षा:-**संवेदक को उद्यान संबंधी सामान की देख रेख अपने स्तर पर करनी होगी। विकास एवं संधारण के लिये संवेदक को सम्भलाये गये पार्क/उद्यान में लगी मशीनरी, गमलो में लगे पौधे, ट्यूबवैल से पानी की लाईन, रिप्रिंग सिस्टम/हाईड्रैन्ट, पम्प सिस्टम आदि का रख रखाव एवं संचालन संवेदक को अपने स्तर पर करना होगा एवं पार्क की सुरक्षा व्यवस्था विभाग द्वारा उपलब्ध चौकीदारों से करवानी होगी। यदि किसी हाईड्रैन्ट अथवा नोजल आदि बदलने की आवश्यकता हो तो बदलना होगा जिसका कोई भुगतान देय नहीं होगा। पार्क में पीने के पानी की आपूर्ति 24 घंटे बनाये रखने की व्यवस्था संवेदक को अपने स्तर से करनी होगी जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा। उक्त सामान की टूट-फूट होने पर संवेदक द्वारा निर्धारित अवधि में क्षतिपूर्ति/मरम्मत नहीं की गई तो प्राधिकरण द्वारा कार्य कराकर वास्तविक व्यय की वसूली संवेदक से की जावेगी।
4. **पानी की व्यवस्था :-**पार्क में लगे सभी बोरिंग पम्प चलाने एवं एसटीपी के पानी को जल संग्रहण टैंक तक लाने हेतु तकनीकी स्टाफ की व्यवस्था संवेदक को करनी होगी। पौधों को दिये जा रहे पानी की पाईप लाइन में लीकेज, मोटर पम्प जलने, खराब होने, मरम्मत व वायरिंग केबल इत्यादि का कार्य संवेदक को स्वयं के स्तर पर उसी दिन करना होगा एवं इस पर खर्च होने वाला समस्त भुगतान संवेदक को स्वयं के स्तर पर करना होगा, उसका पुनर्भरण जविप्रा द्वारा नहीं किया जावेगा। साथ ही जब तक मोटर पम्प/बोरिंग ठीक नहीं हो जाता तब तक पार्क/उद्यान में पानी पिलाने की वैकल्पिक व्यवस्था संवेदक को करनी होगी, जिसका अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। तीन दिवस में मोटर पम्प ठीक नहीं होने पर 500/- रुपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जावेगी। यदि बोरिंग का जल स्तर नीचे चला जाता है तो आवश्यकतानुसार पाइप कवच करके जोड़ने का, मोटर को निकालने व वापिस डालने का व्यय संवेदक को करना होगा जिसका पुनर्भरण प्राधिकरण द्वारा देय नहीं होगा। पार्क में लगे हाईड्रैन्ट, पाईप लाईन, बोरिंग पाईप व मोटर आदि उपकरण के पूर्ण रूप से खराब/कण्डम होने पर ही जविप्रा द्वारा उपलब्ध कराये जावेंगे, जिसकी पुष्टि उद्यानिकी/सिविल/विद्युत शाखा के कार्य प्रभारियों द्वारा दी गई संयुक्त तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर होगी।
5. संवेदक को पार्क के विकास एवं संधारण कार्यों हेतु उपयोग में लिये जाने वाले फावड़े, खुरपी, गैंती, झारा, झाड़ू इत्यादि औजार आवश्यकतानुसार पर्याप्त मात्रा में रखने होंगे।



6. उद्यान में निर्देशानुसार पेड़-पौधे लगाना, उन्हें शिफ्ट करना, नये पौधे लगाना, गमलों का नियमित संधारण व नये गमले तैयार करना व उनका संधारण व पुनः रोपित (पोटिंग व रिपोटिंग) का कार्य संवेदक के श्रमिकों को करना होगा, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
7. **बिजली पानी के बिल:**—संवेदक द्वारा पार्कों की लाइटों व बोरिंग के बिजली के बिल व पानी के बिल सम्बन्धित विभागों से प्राप्त कर समय पर भुगतान करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इसका पुर्नभरण प्राधिकरण द्वारा किया जावेगा। बिलों पर किसी भी प्रकार की पेनल्टी का पुर्नभरण प्राधिकरण द्वारा देय नहीं होगा। विद्युत की चोरी या विद्युत उपभोग निर्धारित लोड से ज्यादा होने पर हर्जाने के भुगतान का जुम्मा संवेदक का होगा एवं उसका पुर्नभरण प्राधिकरण द्वारा देय नहीं होगा।
8. **निरीक्षण एवं भुगतान:**—संवेदक द्वारा किये गये कार्य का इन्द्राज/प्रमाणीकरण कार्यप्रभारी द्वारा कार्य पंजिका में किया जायेगा एवं समय-समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा चैक किया जायेगा। कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने का इन्द्राज भी इसी पंजिका में होगा। कार्य का मासिक बिल भुगतान इन्ही इन्द्राजों के आधार पर होगा। विकास एवं संधारण कार्यों में कमी पाये जाने पर नहीं किये कार्यों की कटौति बिना टी. पी. काटकर बी.एस.आर. 2016 की दरों से दुगुनी दर से किया जावेगा।
9. **पेड़-पौधों की छँटाई:**— उद्यान क्षेत्र के बड़े पेड़-पौधों, हैज एवं झाड़ियों निर्देशानुसार कटाई-छँटाई कर उनको नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान पर डालना होगा। जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा। गार्डन के अन्दर कचरा, सूखे पत्ते इत्यादि दो दिवस से अधिक से अधिक समय पर इकट्ठा होने के बाद रुपये 1000.00 प्रतिदिन की पेनल्टी लगाई जावेगी।
10. संवेदक द्वारा संधारित किये जा रहे पार्क/कार्य स्थल पर आंधी, तूफान या अन्य किसी प्राकृतिक आपदा से वृक्ष गिर जाता है या वृक्ष का कोई भाग टूट जाता है तो उसे तत्काल काटकर एकत्रित कर एवं परिवहन कर सुरक्षित स्थान पर जोन प्रभारी के निर्देशानुसार पार्क में रखेगा। संवेदक को सूचना दिये जाने के उपरान्त दो दिवस में उक्त कार्य नहीं किये जाने पर प्रति दिवस 500 रु. का जुर्माना संवेदक से वसूल किया जायेगा। (दो दिवस का निर्धारण संवेदक को दी गई लिखित/वाट्सअप/ईमेल सूचना के आधार पर किया जायेगा।)
11. **सफाई:**— पार्क क्षेत्र में लगी दूब एवं आंतरिक फुटपाथ की साफ-सफाई नियमित रूप से करनी होगी व किसी भी प्रकार का कूड़ा-कचरा, खरपतवार व अवांछित झाड़ियाँ नहीं पायी जानी चाहिये एवं निरन्तर संवेदक द्वारा अपने स्तर पर सफाई की जावेगी। इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र को साफ रखना होगा, सफाई का कार्य प्रतिदिन किया जाना आवश्यक होगा। पार्क क्षेत्र में किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं होना चाहिए व अवांछित विज्ञापित होर्डिंग, विज्ञापन बोर्ड आदि जो हटाने की जिम्मेदारी भी संवेदक की होगी। पार्क में किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधियों जैसे खेलकूद, खोमचे-ठेले लगाना एवं अन्य व्यापारिक गतिविधियों आदि को रोकने जिम्मेदारी स्वयं संवेदक की होगी।
12. **पेड़ पौधों की क्षति:**—पार्क में लगे हुए किसी भी प्रकार के पेड़-पौधे यदि संवेदक की लापरवाही से नष्ट हो जाते हैं तो मृत पौधों के स्थान पर उसी प्रजाति, मापदण्ड का पौधा संवेदक को अपने स्तर पर सातदिवस में लगाना होगा, जिसका अलग से कोई भुगतान नहीं दिया जायेगा।

13. **खाद-उर्वरक:-** उद्यानों के संधारण कार्य में संवेदक को वर्ष में दो बार सितम्बर व फरवरी माह में अच्छी सड़ी गोबर/मिंगनी/कम्पोस्ट की खाद व रासायनिक खाद डालनी होगी, जिसका अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा।
14. **मौसमी फुलवारी:-** पार्क में मौसमी फुलवारी की निर्देशित किस्मों की सदी वाली फुलवारी माह सितम्बर, ग्रीष्मकालीन वाली फुलवारी माह मार्च व अप्रैल में एवं वर्षा कालीन वाली फुलवारी जून व जुलाई में लगानी होगी, जिसका भुगतान जी-शिड्यूल के अनुसार देय होगा। अगर समय पर फुलवारी नहीं लगाई गई तो एक सप्ताह का नोटिस देने के पश्चात यह कार्य प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य से कराकर लागत की वसूली बी.एस.आर 2016 की दुगुनी दरों से आंकलन कर संवेदक से की जावेगी।
15. पार्क में स्थित फव्वारे व लाइटों को चालू करने का कार्य संवेदक को स्वयं के स्तर पर तकनीकी स्टाफ से निर्देशानुसार समय पर करना होगा।
16. पार्क में स्थित पानी के उपयोग में ली जा रही बोरिंग के संचालन हेतु संवेदक को स्वयं के स्तर पर प्रत्येक बोरिंग पर एक तकनीकी श्रमिक कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा। पार्क में स्थित बॉक वे (कच्चे ट्रेक) की नियमित सफाई एयरब्लोवर द्वारा की जाकर एकत्रित किये गये सूखे पत्तों का निस्तारण चीपर शेडर मशीन से तत्काल करके निर्धारित स्थान पर एकत्रित करना होगा।
17. **दवाईयों का उपयोग:-** पेड़-पौधों में कीड़े एवं बीमारियों की रोकथाम के लिये निर्देशानुसार भली प्रकार से एंटीडर्माइट/इनसेक्टीसाईड/फंगीसाईड का छिड़काव करना होगा ऐसा नहीं करने पर एक नोटिस देने के पश्चात यह कार्य विभाग द्वारा करवा लिया जावेगा। किये गये कार्य का भुगतान संवेदक से दुगुनी दरों से वसूला जावेगा।
18. उद्यानके विकास एवं संधारण/सुरक्षा के बाबत श्रमिक/चौकीदार/जनता के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
19. अनुबन्ध के दौरान किसी भी समय पार्कों की संख्या/क्षेत्रफल बढ़ाने या घटाने के लिये प्राधिकरण अधिकृत होगा, जिसके लिये संवेदक को भुगतान अनुपातिक रूप से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा।
20. संवेदक को पार्क खुलने व बन्द होने तक दो पारियों में एक एक सुपरवाईजर रखना होगा। सुपर वाईजर के पास शिकायत/सुझाव पुस्तिका हमेशा उपलब्ध रहेगी, जिसमें घूमने वाले, जनता के प्रतिनिधी एवं प्राधिकरण के अधिकारी कोई शिकायत या सुझाव अंकित कर सकेंगे। शिकायत पुस्तिका में अंकित की गई शिकायतों का निराकरण संवेदक को दो दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से करना होगा।
21. जी शिड्यूल में अंकित बी.एस.आर./नॉन बीएसआर के आईटमों की मात्रा में RTPP ACT 2012 & RTPP Rule 2013 के प्रावधानों तक कटौती एवं बढ़ोतरी की जा सकती है।
22. निविदा में बीएसआर दर से कम दर डालने वाले संवेदक को नियमानुसार देय कार्य सम्पादन प्रतिभूति के अतिरिक्त बीएसआर दर से कम दर की अंतर राशि की सम्पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति, मूल रूप से कार्य सम्पादन प्रतिभूति के अनुसार ही कार्य की अवधि हेतु निर्धारित प्रारूपों यथा बैंक गारंटी/बैंक ड्राफ्ट/FDR/NSC आदि में देनी होगी। न्यूनतम दर वाले बोलीदाता की बोली स्वीकृत कर Letter of Acceptance जारी किया जायेगा और तत्समय ही BSR दर से कम दर की अंतर राशि की कार्य सम्पादन की प्रतिभूति को प्रस्तुत करने हेतु नियमानुसार निर्धारित समय दिया जावेगा। निर्धारित समय में यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराने पर RTPP ACT/RULES 2012 & 13 के अनुसार कार्यवाही कर प्रतिभूति जब्त की जायेगी। यदि संवेदक अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं कर पाता है या पूर्ण नहीं करता है तो उक्त BID Security के साथ-साथ उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अंतर राशि दोनों ही जब्त कर ली

- जायेगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अंतर राशि भी मूल कार्य सम्पादन प्रतिभूति की शर्तों के अनुसार ही कार्य संतोषजनक पूर्ण होने पर लौटाई जावेगी।
23. संवेदक के द्वारा अनुबंध एवं निविदा की शर्तों का उल्लंघन अथवा निम्न गुणवत्ता के कार्य कराये जाने पर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के साथ बीएसआर दर से कम दर की अंतर की कार्य सम्पादन प्रतिभूति भी जब्त कर संवेदक को एक वर्ष के लिए टेण्डर में भाग लेने से डी-बार किया जा सकेगा।
24. उपरोक्त कार्यों के सम्बन्ध में उत्पन्न विवादों का न्याय क्षेत्राधिकार जयपुर होगा।
25. उक्त निविदा की नियम एवं शर्तों में वर्णित किसी शब्द या वाक्य के निर्वचन से सम्बन्धित विवाद के सम्बन्ध में जयपुर विकास आयुक्त द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
26. अघोहस्ताक्षरकर्ता को बिना कारण बताये निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
27. संवेदक कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना, श्रमिकों की सुरक्षा, न्यायिक विवाद, प्रोविडेन्ट फण्ड आदि के लिये श्रमिक अधिनियम अनुसार स्वयं जिम्मेदार होगा।
28. संवेदक को ग्रीष्मऋतु (माह मार्च से जून तक) में पौधों एवं लॉन को पानी उपलब्ध कराने हेतु प्रातः 6.00 बजे से सांयकाल 7.00 बजे तक श्रमिकों की व्यवस्था करनी होगी
29. संवेदक को पार्क में स्थित पानी संग्रहण टैंक (वाटर स्टोरेज टैंक) की माह में एक बार सफाई करनी आवश्यक होगी। जिसका सत्यापन पार्क प्रभारी से प्रत्येक माह कराना होगा एवं इसका उल्लेख प्रतिमाह के भुगतान के बिल के समय उल्लेख किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रति दिवस सांयकाल पार्क में अवस्थित जलग्रहण टैंक (वाटर स्टोरेज टैंक) को एसटीपी/बोरिंग के पानी से पूर्णतया भरे जाने की जिम्मेदारी संवेदक की रहेगी इस हेतु एसटीपी प्रभारी से निरंतर समन्वय रखेंगे।

भुगतान की शर्त :-

1. संवेदक को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल प्रस्तुत करने होंगे इसके पश्चात बिल प्रस्तुत करने पर 5 प्रतिशत, अगले माह में प्रस्तुत करने पर 10 प्रतिशत, द्वितीय माह में प्रस्तुत करने पर 15 प्रतिशत राशि पेनल्टी के रूप में काटी जावेगी तथा तीन माह पश्चात बिल प्रस्तुत किये जाने पर कोई भुगतान देय नहीं होगा।
2. संवेदक द्वारा साइट पर कराये गये कार्यों में से जो कार्य संतोषजनक एवं गुणवत्तानुसार नहीं पाये जायेंगे या विकास एवं संधारण कार्यों में कमी पाये जाने पर नहीं किये कार्यों के लिए बिना टी.पी. काटकर बी.एस. आर. 2016 की दरों से दुगुनी दर से पेनल्टी के रूप में वसूली जावेगी।
3. संवेदक को भुगतान किये जाने वाले बिलों में CGST/GST, आयकर, बिक्री कर एवं अन्य राशि की कटौती सरकार द्वारा समय-2 पर जारी नियमों के अनुसार देय होगी।
4. जमा की गई Performance security राशि उक्त ठेके के सफलतापूर्वक समाप्त होने के 3 माह पश्चात आवश्यक समायोजन, कटौति होने पर समायोजन करते हुये तत्पश्चात लौटाई जावेगी।


वरिष्ठ उद्यान विज्ञ
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

संवेदक के हस्ताक्षर
संवेदक का नाम व
पूर्ण पता मय दूरभाष नम्बर

Jaipur Development Authority, Jaipur

G-Schedule

Name of Work:- Development and maintenance of Civil Line area (Civil line Rly crossing to Hawa sadak), Elevated Road median and Statue Circle, Jaipur with 2 years maintenance

BSR 2016

S.N	BSR Item No.	Particulars	Unit	Qty.	Rate	Amount
1	3.4	Preparation of different sized beds as directed.	100 Sqm.	6000	285.00	17100.00
2	Jda bsr	Supply of Vermi Compost including unloading & transportation at site.	Per Kg.	500	5.00	2500.00
3	JDA BSR	Digging of pits of size 0.45 x 0.45x 0.45 m or (0.50+0.40)/2 x (0.50+0.40)2 x .45 m Clayey loam soil	Pit	1300	8.55	11115.00
4	JDA BSR	Supply & Plantation of selected specimen plants including mortality replacement, loading - unloading transportation and maintenance for 30 days after planting the plants Phoenix roebelinii 3'-4' ht dia 4'-5'	Each	50	3500.00	175000.00
5	JDA BSR	Supply & plantation of Ornamental trees including mortality replacement loading - unloading transportation and maintenance for 30 days after planting the plants Ficus Panda topiary dia 3'-4'	Each	100	900.00	90000.00
6		Supply of different varieties of trees/shrubs/climbers according to height and age of the plant at site including/ unloading & transportation etc. complete.				
	1.12.3	Different varieties of shrubs 900 mm	Each	900	152.00	136800.00
	1.12.3	Different varieties of climbers 1500 mm.	Each	300	114.00	34200.00
7	JDA BSR	Supply of different varieties of Bougainvillia having multibranching ht. 2.5 - 3 feet, crown dia 2 - 2.5 feet & stem girth 7 -10 cm.	Each	50	1000.00	50000.00
8	Non BSR	Supply of circular cement pots 24" size with decorative art/paintings at various roads, circle, triangle, median & greenbelt including filling of good earth & manure (3:1 ratio) insecticide loading - unloading transportation at site (as per design)	Each	100	500.00	50000.00
9	Non BSR	Maintenance of plants, planted in 24" size pots including 10 time watering & 2 time hoeing weeding in a month and Coloring one time in 3 month 100 nos. x 24 month	Per Ghamla	2400	30.00	72000.00
10	JDA BSR	Supply & planting of Petunia, Salvia, Sinereria & Gajenia, sweet william, penjy etc. seasonal flower plant of Pune variety. (Winter Season)	Each	16000	42.00	672000.00
11	JDA BSR	Supply & planting of flowering plants (Cosmos, cockscomb, zinnia hybrid varieties) (Summer Season)	Each	10000	42.00	420000.00
12	3.3	Planting of trees / Shrubs / hedge & climbers plants at desired distance in a row & watering.	100 Plants.	1400	19.00	266.00
13	2.1.3	Uprooting weeds from the lawn and trenched area after 10 to 15 days of it's flooding with including disposal of uprooted vegetation.	Per 100 sqm	256111.20	190.00	486611.28
14	2.1.5	Maintenance of shrubbery or Hedge cutting including disposal of rubbish with all leads & lifts.	100 Sqm.	201072	332.50	668564.40
15	JDA BSR	Maintenance works in parks - - Includes - Watering in parks - Weeding & hoeing - Thavala preparation/ formation - Hedge/lawn cutting work - Seasonal flowering plants - Cleaning work etc.	Per Hect.per month	43.20	25000.00	1080000.00
16	JDA BSR	Supply of water through tankers.	Per 1000 Ltr	10890096	40.00	435603.84
Total						4401760.52

Tender percentage in figures ----- above/below

Tender percentage in words ----- above/below

Signature of the Contractor

Senior Horticulturist